न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

फर्द अहकाम

मु0न0:– 52/2021

उनवानः– मिट्ठू बनाम अमरसिंह वगै0

पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष वकील उपस्थित, सायल वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि, वर्णित आराजीयात मे सायल व गैरसायल न0 1 व 2 एवं दावे के प्रतिवादी न0 3 एकी पूर्वज नारायणा की संतती है। वर्णित आराजीयात सायल व गैरसायलान के पूर्वज नारायणा के हक मे दर्ज रिर्काड रही है। नारायणा के तीन पुत्र कमशः रामकुमार, ठण्डी व रामस्वरूप थे, जिनमे रामकुमार का पुत्र दावे का प्रतिवादी न0 3 मनोहरी है एवं ठण्डी के दो पुत्र मिट्ठू सायल व अमरसिह है जिनमे से रामस्वरूप जो अविवाहित है ने अपने जीतेजी अपने सगे भाई ठण्डी के पुत्र अमरसिंह को पिता ठण्डी के जीवनकाल मे ही गोद ले लिया और रामस्वरूप ने दत्तक पुत्र स्वीकार कर लिया, तभी से अमरसिंह अपने दत्तक पुत्र रामस्वरूप के साथ रहने लग गया और रामस्वरूप की आराजीयात को बतौर दत्तकपुत्र काश्त करता चला आ रहा है। जिसका गोदपत्र भी रजिस्टर्ड किया जा चुका है। उक्त गोद पत्र रजिस्टर्ड होने के पश्चात अमरसिह के पिता ठण्डी की फौतगी के बाद उसकी आराजीया तमे गैरसायल न0 1 अमरसिह का हिस्सा दर्ज रिकार्ड हो गया जबकि नही होनेा चाहिये। इस प्रकार प्राईमाफेसी केस सायलान के पक्ष मे साबित है व सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष मे साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 13.07.2021 को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जावे।

गैरसायलान वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि सायल मिट्ठू ने अपनी बहन सुगनबाई, कैली, कमला को पक्षकार नही बनाया है। सायल का वर्णित आराजीयात पर कब्जा नही होने के कारण खातेदारी प्राप्त करने का अधिकार नही है। खातेदार ठण्डी की फौतगी के बाद उसके वारिसान 1/1 ता 1/5 के पिता ठण्डी की जानकारी मे रहते हुये विरासत के आधार पर नामांतकरण खोला गया है। नामांतकरण खोले जाने के 35–40 वर्ष बाद ठण्डी द्वारा नामांतकरण के विरूद्व अपील नही कर न्यायालय हाजा मे विरूद्व दावा पेश किया है। जबकि कानूनन नामांतकरण के विरूद्व अपील करनी चाहिये थी। क्योकि मृतक मिट्ठू व गैरसायल न0 1 विरासत के आधार पर खोले गये नामांतकरण के आधार पर खातेदार काश्तकार बने है। सायल न0 1/1 त्ज्ञ 1/5 के पिता मृतक मिट्ठू द्वारा न्यायालय मे किसी प्रकार की कोई चाराजोही नही की गई इसलिये सायलान का कब्जे के अभाव मे प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 13.07.2021 को खारिज करते हुये सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता न0 4, 18, 17, 20, 19, 16, मे सायलान के पिता मिट्ठू व गैरसायल न0 1 व 2 खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली मे शामिल दिनांकः– 25.08.2023 को रजिस्टर्ड किये गये गोद पत्र की प्रमाणित प्रति अनुसार खातेदार रामस्वरूप ने अमरसिंह औरस पुत्र ठण्डीराम निवासी सरसेना को ठण्डी के जीवनकाल मे ही गोद ले लिया है। उक्त रजिस्टर्ड गोदपत्र अनुसार गैरसायल अमरसिह रामस्वरूप का दत्तक पुत्र साबित है। इसलिये प्रथम दृष्टया प्रकरण सायलान के पक्ष मे साबित होने से सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष मे साबित है। अगर गैरसायलान को पाबन्द नही किया जाता है तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। इसलिये सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना उचित है। अतः न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 13.07.2021 को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जाता है। अर्थात प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात म सायलान व गैरसायलान को ता दावा फैसला जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उभयपक्ष वर्णित आराजीयात मे रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

पत्रावली फैशल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुनीता मीना)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena

Date: 2024.09.10 11:12:13 IST

Reason: SelfAttested